अध्याय I: परमाणु उर्जा विभाग

भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड

1.1 विद्युत आपूर्ति प्रणाली के पूरा होने में देरी के कारण बाहय स्रोत से विद्युत की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

विद्युत की आपूर्ति के लिए उत्पादन संयंत्र से टाऊनशिप तक ट्रासिमशन लाइनों को पूरा करने में देरी के कारण एनपीसीआईएल को स्वयं के उत्पादन से बिजली को वितरित करने के जनादेश के बावजूद उच्च दरों पर अजमेर डिस्कॉम से बिजली की खरीद को जारी रखा। इससे दिसंबर 2012 से मार्च 2016 के दौरान ₹14.90 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

न्युक्लीयर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) की रावतभाटा राजस्थान साइट (आरआरएस) के छह ऑपरेटिंग प्लांट¹ और दो चालू परियोजनाओं वाली एक परमाण् बिजली उत्पादन इकाई है। आरआरएस में काम कर रहे कर्मचारियों को एनपीसीआईएल द्वारा विकसित टाऊनशिप में रहने हेत् समायोजित किया गया है। इससे पहले, एनपीसीआईएल आरआरएस में एनपीसीआईएल कॉलोनी में स्टाफ क्वार्टरों को आपूर्ति के लिए तथा अन्य सामान्य स्विधाओं जैसे सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति, गैस्ट हाऊस आदि के लिए अजमेर डिस्कोम से बिजली खरीद रहा था। परन्त् भारत सरकार की अधिसूचना (08 जून 2005) दवारा उत्पादन कम्पनियों को आवासीय कालोनियों तथा टाऊनशिप को बिजली की आपूर्ति हेत् बिजली अधिनियम, 2003 के तहत् लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दिए जाने के बाद एनपीसीआईएल ने आरआरएस से टाऊनशिप तक विद्युत आपूर्ति प्रणाली निर्मित करने का निर्णय लिया (मई 2007) क्योंकि अजमेर डिस्कोम से खरीदी गई बिजली की लागत अधिक थी। इस उददेश्य के लिए एक नई ट्रासमिशन प्रणाली की आवश्यकता थी क्योंकि संयंत्र से टाऊनिशप की दूरी लगभग 10 किलोमीटर थी तथा विद्युत आवश्यकता 10 एमवीए² थी। विद्युत आपूर्ति प्रणाली के निर्माण हेतु प्रस्ताव को ₹13.13 करोड़ की अन्मानित लागत पर 18 मई 2007 को अध्ययन एवं प्रबंधन निदेशक, एनपीसीआईएल द्वारा अन्मोदित कर दिया गया था।

1

[🛚] यूनिट 1-प्रचालन में नहीं है, यूनिट-2 -200 मे. वा. तथा यूनिट 3 से 6-220 मे.वा प्रत्येक

² मेगा वॉल्ट एम्पीयर

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए इसे तीन भागों में बाटा गया जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

कार्य आदेश संख्या	उद्देश्य	कार्य दिया गया	कार्य देने की तिथि	पूर्णता के लिए निर्धारित तिथि	पूर्णता की तिथि	विलंब दिनों में
61957	इलेक्ट्रिकल सिस्टम तथा इलेक्ट्रिकल उपस्कर की आपूर्ति एवं प्रतिष्ठान		02.02.09	08.02.10	30.11.11	660
61983	ट्रासमिशन लाइनों का निर्माण		12.03.09	15.12.10	15.11.12	701
62486	आऊटडोर सब- स्टेशनों का निर्माण	मैसर्स स्टर्लिंग एण्ड विल्सन्स प्रा. लि.	17.12.10	06.06.12	30.10.15	1241

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि हालांकि प्रस्ताव मई 2007 में अनुमोदित हो गया था, फिर भी एनपीसीआईएल ने पहले कार्य के लिए निविदा बुलाने में 15 माह का समय लिया (अगस्त 2008)। यद्यपि, तीनों कार्य पूरी विद्युत आपूर्ति प्रणाली के अभिन्न अंग थे फिर भी तीसरे कार्य के लिए निविदा 21 माह के विलंब से मई 2010 में बुलाई गई थी।

इसके अलावा, तीसरे कार्य (कार्य III) के प्रति कार्य का समापन प्रबंधन (507 दिन) तथा ठेकेदार (734 दिन) के कारण 1241 दिनों के विलंब से हुआ था। प्रबंधन की तरफ से विलंब के कारण अतिरिक्त मदों का सिम्मलन, अतिरिक्त मदों हेतु दरों को अंतिम रूप देने में विलंब, सब-स्टेशन की जांच में विलंब आदि थे। यद्यिप, ठेकेदार की तरफ से विलंब हेतु अवरोध रिजस्टर का रख-रखाव किया गया था फिर भी रिजस्टर में विलंब हेतु कोई विशेष कारण दर्ज नहीं किया गया था। कार्य को जून 2012 की निर्धारित समय सीमा के प्रति अक्टूबर 2015 के दौरान ही पूरा किया जा सका था। इसके अलावा, यद्यिप, कार्य अक्तुबर 2015 तक पूरा हो गया था। फिर भी मार्च 2016 तक लाइन को सिक्रय नहीं किया गया था।

आरआरएस ने अजमेर डिस्कोम से ₹ 25.80 करोड़ में ₹ 6.48 प्रति केडब्ल्यूएच की औसत दर पर दिसम्बर 2012 से मार्च 2016 के दौरान 3,98,39,381 केडब्ल्यूएच विद्युत की

खरीद की थी जिसमे से 1,77,18,873 केडब्ल्यूएच (जनवरी 2016 तक) स्टाफ के आवासों के लिए बेची गई थी जिसके लिए ₹ 4.99 करोड़ की वसूली हो गई थी तथा शेष ऊर्जा (2,21,20,508 केडब्ल्यूएच) टाउनिशप में सामान्य सुविधाओं जैसे सार्वजिनक प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति गेस्ट हाऊस आदि के लिए खपत हो गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरआरएस की स्व-उत्पादित विद्युत ₹ 2.7412 प्रति केडब्ल्यूएच की दर पर बेची जा रही थी। यदि कार्पोरेशन ने अपने स्वयं के उत्पादन संयंत्रों से बिजली की आपूर्ति की होती तो 3,98,39,381 केडब्ल्यूएच की खपत पर अजमेर डिस्कोम से बिजली की खरीद के प्रति दिसम्बर 2012 से मार्च 2016 के दौरान ₹14.90 करोड़¹ के अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (मई 2016) कि एनपीसीआईएल और साथ ही ठेकेदार के कारण सभी तीन पैकेजों को पूरा करने में काफी विलम्ब हुआ था जोकि अपर्याप्त नियोजन तथा धीमी प्रगति के कारण था। तथापि, प्रबंधन ने यह कहते हुए अनुबन्ध को रद्द नहीं किया कि ठेकेदार की तरफ से जानबूझकर कोई चूक नहीं की गई थी तथा पुन: निविदा से और अधिक विलंब होगा। इसके अलावा, यह बताया गया कि तीसरे कार्य आदेश को जारी करने (06 जनवरी 2009) के दौरान निविदाकरण प्रक्रिया को वैद्य कारणों से बीच में ही समाप्त करना पड़ा था और 22 अप्रैल 2010 को पुन: निविदाकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह भी बताया गया कि नए सब-स्टेशनों (कार्य-III) में विद्युत इनपुट यूनिट 5 एवं 6 (कार्य-II) से परिकल्पित थी जिसके लिए 220 केवी² खण्ड के प्रावधान को राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आरएपीपी) 7 एवं 8 के मुख्य संयंत्र इलेक्ट्रिकल अनुबन्ध में शामिल किया गया था। जो दिसम्बर 2014 में पुरी हुई थी।

प्रबंधन द्वारा बताए गए विलंब के कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तीसरे कार्य आदेश के लिए मांगी गई निविदा (06 जनवरी 2008) तथा किसी औचित्य के बिना पुन: निविदा (22 अप्रैल 2010) के बीच एक वर्ष से अधिक का विलंब हुआ था। इसके अलावा, नए सब स्टेशन के विद्युत इनपुट (कार्य III) यूनिट 5 एवं 6 से परिकल्पित थे जिसने 2009-10 के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया था किंतु 220 केवी खण्ड (कार्य III) के प्रावधान को आरएपीपी 7 एवं 8 के मुख्य संयंत्र इलेक्ट्रिकल अनुबन्ध में शामिल करने का अतार्किक निर्णय से थी जबिक कार्य III को पूरा करने में विलंब हुआ क्योंकि आरएपीपी 7 एवं 8 को नई सांविधिक मंजूरियों की आवश्यकता थी, जिन्हे प्रबंधन ने पहले से ही नहीं देखा था।

^{ा 3,98,39,381} केडब्ल्यूएच ∗ (₹6.48 प्रति केडब्ल्यूएच- ₹2.7412 प्रति केडब्ल्यूएच) = ₹14,89,51,477.68

² किलो वॉल्ट

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

अतः कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब तथा समाप्त कार्यों के निष्क्रिय पड़े रहने से उच्च दर पर विद्युत की खरीद के कारण ₹ 14.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामले को दिसम्बर 2016 में मंत्रालय को भेज दिया गया; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (जनवरी 2017)।